न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,बहराइच।
जे०ओ० कोड– UP6320
CNR No. UPBH010013282026
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–547/12A/2026

मैनूद्दीन उम्र लभग 33 साल पुत्र भुसैली, निवासी मंसूरी थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच। **–––––प्रार्थी/अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल) बहराइच।

––––विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–948/2016
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट,
थाना–नवाबगंज, जनपद बहराइच।

12.03.2026

जमानत आदेश

यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मैनूद्दीन,** के पैरोकार कुलसुम जो कि अभियुक्त की पत्नी है, की तरफ से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सत्र परीक्षण संख्या–69/2016, अपराध संख्या–948/2016, धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–नवाबगंज, जनपद–बहराइच के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में शपथी द्वारा कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है और मजदूरी के सिलसिले में मुम्बई चला गया था औऱ वहां पर उसका मोबाइल गायब हो जाने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका और प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त पत्रावली में हाजरी माफी व मौका का कोई प्रार्तना पत्र नहीं दिया औऱ न्यायालय द्वारा वारण्ट का आदेश पारित कर दिया गया। अभियुक्त पहले से जमानत पर है प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं कि है। प्रार्थी न्यायालय पर बराबर आता रहेगा। अभियुक्त बाहर से मजदूरी करके वापस आया तो अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया गया और अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की जमानत मंजूर फरमाकर उचित बंधपत्र पर रिहा करने की कृपा करे।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली को अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत मामले में अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट के अनुक्रम में अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार बहराइच में बन्द है। पूर्व में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को स्वीकार की गयी थी।

Digitally signed by KAVITA NIGAM
Date: 2026.03.12 16:20:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तर्कों के परिप्रेक्ष्य में मामले के तथ्यों एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मैनूद्दीन** पूर्व में जमानत था और उसी के अनुक्रम में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) की दो नयी जमानतें एवं उसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने तथा इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत प्रदान की जाती है कि–

1– आवेदक/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगा।

2– आवेदक/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा, न ही अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त स्वयं का निवास स्थान एवं उसके जमानतियों के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरन्त न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस मामले में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा, तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र नहीं देगा।

5– आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसको दी गयी जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

(कविता निगम)
दिनांकः 12.03.2026 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।
जे०ओ० कोड– UP6320